

राजस्थान सरकार
कार्यालय, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/2015/ 733

दिनांक- 07.10.2015

—: अधिसूचना :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, एकल पीठ, क्रम संख्या 5, जयपुर, द्वारा दिनांक 07.10.2015 को जारी किये गये निर्देशानुसार राजस्थान राज्य में मावा एवं मावे से निर्मित खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।

राज्य के समस्त अभिहित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(डॉ० बी.आर. मीणा)

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/2015/ 733

दिनांक- 07.10.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान के असाधारण गजट में प्रकाशित करावें।
7. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2 एवं 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (ग्रा० स्वा०), मुख्यालय।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
11. समस्त अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
12. समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर।
14. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर, अलवर, कोटा, उदयपुर एवं जोधपुर।
15. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान।
16. प्रभारी, केन्द्रीय दल, मुख्यालय।
17. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को ई-मेल करते हुये विभाग की साईट पर भी अपलोड करें।
18. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(डॉ० बी.आर. मीणा)

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।